

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 155 : सबूत का भार

जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।
